फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) भीण्डर, उदयपुर

प्रार्थी :– श्री नगजीराम

विपक्षी :– तहसीलदार कानोड

किस्म मुकदमा – 136 भू.रा.अधि.

पत्रावली संख्या : 159/22

कमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक : 17.10.2023	

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी उपस्थित। प्रकरण मे बहस सुनी गई। प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। प्रार्थी के कथनानुसार ग्राम बोरतलाई पटवार हल्का सारंगपुरा (भीण्डर) तहसील कानोड की जमाबंदी संवत् 2078–81 की खाता संख्या 85 पर प्रार्थी के पिता का नाम किस्तुर पुत्र भगवान खटीक अंकित है जो गलत होने से किस्तुर पुत्र भगवान खटीक के बजाय नगजीराम खटीक पिता भगवान खटीक संशोधित किये जाने का निवेदन किया। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में शपथ पत्र, सह खातेदारो का सहमती पत्र, अधयक्ष नगरपालिका भीण्डर का प्रमाण पत्र, वोटर आइडी की प्रति, पेन कार्ड की प्रति पेश की गई। हमने प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व दस्तावेजों का अध्ययन किया। प्रार्थी द्वारा अपने दस्तावेजों में ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे यह साबित हो की प्रार्थी के पिता का नाम गलत अंकित हुआ हो या राजस्व कार्मिको से कोई लिपिकीय त्रुटि हुई हो। प्रार्थी द्वारा अपने दस्तावेजो के साथ नामातरण की प्रति भी पेश नहीं की गई है जिससे की यह देखा जा सके की कोई लिपिकीय त्रुटि हुई है या नहीं। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में जो दस्तावेज पेश किये गये है उनमें प्रार्थी के पिता का नाम नगजीराम खटीक है लेकिन ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं है जिसमें पूर्व में प्रार्थी के पिता का नाम नगजीराम खटीक हो और त्रुटि से किस्तुर पुत्र भगवान खटीक दर्ज किर दिया गया हो। अतः दस्तावेजो के अभाव में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्वीकार योग्य पाया जाता है।

–: : आदेश : :–

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू. राजस्व अधिनियम का अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pappu Singh Chundawat
Date: 2023.12.14 17:08:28 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय सुनाया गया।